जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 2524 दि. 02.02.15

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' लागू करने के संबंध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' पूर्व में आदेश संख्या 2153 दिनांक 30.07.2012 (वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम–579) द्वारा 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी । इसके पश्चात् यह योजना अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेश क्रमांक 657 दिनांक 10.10.2014 के द्वारा 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक लागू की गई थी । इसी क्रम में ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः 10 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है :–

1. ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा / खेत / परिसर / मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
2. इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर लोड नियमित किया जावें।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/–प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगें।
4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं की बढ़े हुये भार पर प्रति एच.पी. रू. (2500 +2500) कुल रूपये 5000/– मात्र पेनल्टी जमा करानी होगी ।
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' की समाप्ति (31 मार्च 2015) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा ।

आज्ञा से

02/02

(एम.आर. विश्नोई)
मुख्य अभियन्ता (पी.सी.–सी.एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।